में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जायेगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं।

- योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे -

1. भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा।
2. बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया।
3. हैदराबाद की पाकिस्तान में शामिल होने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया।

- 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जायेगा।

माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत एवं पाकिस्तान दो डोमिनियनों में विभाजन कर दिया गया। माउंटबेटन योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतिक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा सा हो।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे देश विभाजन की अंग्रेजों की कुनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी।

Scanned with CamScanner

"माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947"

[illegible] PAPER 13th

22 मार्च, 1947 ई० को भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन भारत आये, जिनका एकमात्र उद्देश्य था, अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना।

3 जून, 1947 ई० को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में विभाजन की घोषणा की 'जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में भारत की राजनैतिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। यह योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी, इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह निर्णय करना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित पाकिस्तान में शामिल होंगे।

माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे:-

- पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाये और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो प्रांत का विभाजन कर दिया जायेगा।
- विभाजन होने की दशा में दो डोमिनियनों तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जायेगा।
- सिंध प्रांत इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा।
- उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले

Scanned with CamScanner